

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए
एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3193/2022

उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बांकेलाल अग्रवाल, उम्र लगभग 83 वर्ष, निवासी सम्पति निवास, आर्य समाज रोड, बयाना, जिला भरतपुर - 301401 और वर्तमान में 124/69, थड़ी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) में रहते हैं.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव वित्त, राजस्थान सरकार, राजस्थान सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर-302005
3. मुख्य निरीक्षक निर्माण एवं बॉयलर्स, निर्माण एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, 6-सी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, राजस्थान, जयपुर-302004।
4. श्रीमती. जनक अग्रवाल, निवासी (i) बी-189, जनता कॉलोनी, जयपुर (ii) ए-4ए, आदर्श नगर, पुलिस स्टेशन के सामने, जयपुर।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री शैलेश प्रकाश शर्मा
श्री गणेश चंद्र गुप्ता
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री अवनीश कुमार शर्मा, उप-जीसी,
श्री अजय वर्मा के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

03/09/2024

प्रकाशनीय

1. इस याचिका में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि 'क्या मृतक कर्मचारी की पहली या दूसरी पत्नी/विधवा या दोनों पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हैं?' दूसरा मुद्दा यह है कि 'क्या पारिवारिक पेंशन पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक है?' इसी पृष्ठभूमि में इस याचिका से जुड़े मुद्दे पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के विरुद्ध पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश देने की मांग कर रही है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पति 31.07.1993 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद उप मुख्य निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "1955 का अधिनियम") की धारा 13 के तहत पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की गई थी। हालाँकि, इसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए

23.07.1987 के आदेश द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के पति ने कभी भी किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ तलाक की कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की। वकील ने प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता के पति ने उसका भरण-पोषण करना बंद कर दिया, तो उसने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "2005 का अधिनियम") की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करके भरण-पोषण की मांग करते हुए जयपुर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 18 की अदालत का दरवाजा खटखटाया। वकील ने कहा कि पति ने उक्त आवेदन पर जवाब दाखिल किया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन उनके बीच सामाजिक तलाक हो चुका है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में 07.07.2015 के आदेश द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा पति को याचिकाकर्ता को 4,000/- रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायालय (नकली मुद्रा), जयपुर शहर, जयपुर के समक्ष भरण-पोषण की राशि बढ़ाने के लिए अपील दायर करके उपरोक्त आदेश का विरोध किया और उक्त अपील को स्वीकार कर लिया गया और 27.10.2015 के आदेश द्वारा 4,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण राशि को बढ़ाकर 7,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया। वकील ने कहा कि दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 07.10.2016 को हो गई और याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता ने 21.10.2016 को प्रतिवादियों के समक्ष पारिवारिक पेंशन की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में पारिवारिक पेंशन का आदेश पारित करने के बजाय प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया। वकील ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए इन परिस्थितियों में उसे किसी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित न्यायिक कार्यवाही में याचिकाकर्ता के पति ने याचिकाकर्ता की अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में स्थिति को स्वीकार कर लिया है। इसलिए इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपनी मृत्यु से पहले, याचिकाकर्ता के पति ने पेंशन विभाग के समक्ष श्रीमती जनक अग्रवाल का नाम अपनी पत्नी के रूप में और अनिल व सुषमा अग्रवाल का नाम क्रमशः अपने पुत्र व पुत्री के रूप में दर्ज करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता इसे प्राप्त करने में विफल रहा है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन प्रदान न करके कोई अवैधता नहीं की है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पति उप मुख्य निरीक्षक के पद पर प्रतिवादियों की सेवा कर रहे थे और वे 31.07.1993 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। यह तथ्य विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति को प्रतिवादियों से 20,625 /- रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच वैवाहिक विवाद था, जिसने याचिकाकर्ता के पति को पारिवारिक न्यायालय, जयपुर के समक्ष 1955 के अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया, हालांकि, इसका गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं किया गया और इसे 23.07.1987 के आदेश द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया ताकि वे इसे ऐसी तलाक की याचिका सुनने और उस पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर कर सकें। यह तथ्य विवाद में नहीं है कि इसके बाद, याचिकाकर्ता के पति द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विवाह विच्छेद के लिए कोई अन्य आवेदन दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता मृतक की मृत्यु तक उसकी पत्नी के रूप में रही और वर्तमान में वह मृत पति/कर्मचारी की विधवा है। यह तथ्य भी विवाद में नहीं है कि पति के जीवनकाल के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उसके खिलाफ भरण-पोषण के आदेश पारित किए गए थे और उन कार्यवाहियों में, उसने याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी होने का दर्जा देने से इनकार नहीं किया है। मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष उसके द्वारा उठाई गई एकमात्र आपत्ति यह थी कि उनके बीच 'सामाजिक तलाक' हुआ है।

7. भारत में, तलाक व्यक्ति के धर्म के आधार पर विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होता है, और ये कानून तलाक लेने में शामिल कानूनी चरणों को निर्दिष्ट करते हैं। "सामाजिक तलाक" शब्द कानूनी व्यवस्था में मान्यता प्राप्त नहीं है और इसका कोई कानूनी महत्व या परिणाम नहीं है। "सामाजिक तलाक" कुछ समुदायों में एक अनौपचारिक शब्द हो सकता है जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहाँ एक जोड़ा तलाक की कानूनी प्रक्रिया से गुजरे बिना अलग हो जाता है और पति-पत्नी के रूप में रहना बंद कर देता है। यह किसी समुदाय में सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इसे कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इस तरह के अलगाव विवाह की कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं, और अदालतों के माध्यम से औपचारिक तलाक प्राप्त होने तक जोड़े को कानूनी रूप से विवाहित माना जाएगा।

8. कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि कानून के तहत "सामाजिक तलाक" जैसी कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा तलाक का आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक विवाह विच्छेद नहीं हो सकता।

9. अब, इस न्यायालय के विचारणीय प्रश्न यह है कि 'क्या याचिकाकर्ता या जनक अग्रवाल (प्रतिवादी संख्या 4) मृतक पति की पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं'।

10. पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (संक्षेप में "1996 के नियम") के अंतर्गत प्रथम दृष्टया पात्रता सिद्ध करनी होगी। 1996 के

नियमों का अध्याय-V (C) पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के प्रावधानों से संबंधित है। नियम 3(f) के अनुसार, "पारिवारिक पेंशन" का अर्थ है "अध्याय V(C) के अंतर्गत स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन, लेकिन इसमें महंगाई राहत और अंतरिम राहत शामिल नहीं है"। 1996 के नियमों का नियम 66 "पारिवारिक" खंड से संबंधित है और नियम 66 के अंतर्गत इसकी परिभाषा इस प्रकार है:

“66. परिभाषाएँ:

(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे:-

(क) पुरुष सरकारी कर्मचारी के मामले में पत्नी और महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पति;

(ख) न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति, ऐसा पृथक्करण व्यभिचार के आधार पर प्रदान नहीं किया गया है;

(ग) पुत्र/पुत्री, जिसमें विधवा/तलाकशुदा पुत्री भी शामिल है, 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या 2550/- रुपये से अधिक मासिक आय अर्जित करने तक या उसके विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो। पुत्र/पुत्री शब्द में सरकारी कर्मचारी द्वारा कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र/पुत्री और मरणोपरांत संतान भी शामिल होगी।

(घ) माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतः आश्रित थे, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी अपने पीछे न तो विधवा और न ही कोई बच्चा छोड़ गया हो और माता-पिता की आय 2550/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

11. इसी प्रकार, नियम 67 पारिवारिक पेंशन प्रदान करने की शर्तों और उसकी स्वीकार्यता से संबंधित है। नियम 67 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

“नियम 67. अनुदान की शर्तें

पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित को स्वीकार्य होगी -

(क) विधवा /विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो;

(ख) न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति, ऐसा पृथक्करण व्यभिचार के आधार पर प्रदान नहीं किया गया है;

(ग) विधवा/तलाकशुदा पुत्री सहित पुत्री, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या 2550/- रुपये प्रति माह से अधिक मासिक आय अर्जित नहीं कर लेती या उसके विवाह/पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(घ) माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतः आश्रित थे, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी अपने पीछे न तो विधवा और न ही कोई संतान छोड़ गया हो तथा माता-पिता की आय 2550/- रुपये से अधिक न हो।

बशर्ते कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री मानसिक विकार या विकलांगता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से विकलांग या अशक्त है जिससे वह

पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी, अर्थात्,-

- (i) यदि एक से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग हैं, तो पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाएगा और उनमें से छोटे बच्चे को पारिवारिक पेंशन तभी मिलेगी जब उसके ऊपर वाले बड़े बच्चे की पात्रता समाप्त हो जाएगी;
- (ii) ऐसे किसी पुत्र या पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन देने से पहले, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकलांगता ऐसी प्रकृति की है कि वह उसे आजीविका कमाने से रोकती है, जिसका प्रमाण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा विधिवेत्ता के पद से नीचे के पद के न हो, तथा जहां तक संभव हो, सटीक मानसिक या शारीरिक अक्षमता को दर्शाने वाले चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र द्वारा दिया गया हो; और
- (iii) ऐसे पुत्र या पुत्री के प्राकृतिक/कानूनी अभिभावक के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करने वाला पुत्र या पुत्री, प्रत्येक तीन वर्ष में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा विधिवेत्ता के पद से नीचे के पद के चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह मानसिक विकार या विकलांगता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग बना हुआ है।

स्पष्टीकरण

- (1) कोई पुत्र/पुत्री विवाह की तिथि से अथवा 2550/- रुपये प्रति माह से अधिक मासिक आय अर्जित करने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा। उसे वैवाहिक स्थिति संबंधी छमाही प्रमाण-पत्र तथा मासिक आय संबंधी वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (2) ऐसे मामले में, प्राकृतिक/कानूनी अभिभावक या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह हर वर्ष, यथास्थिति, कोषागार या बैंक को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसने अभी तक विवाह नहीं किया है।
- (3) पात्र सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन उसके वेतन या पेंशन के अतिरिक्त देय होगी, उन मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।

12. इस मामले के प्रयोजनों के लिए "परिवार" शब्द को 1996 के नियमों के नियम 66(1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, "परिवार" की परिभाषा में पत्नी (खंड (क)) और न्यायिक रूप से अलग हुए पति या पत्नी शामिल हैं, बशर्ते कि ऐसा अलगाव व्यभिचार के कारण न दिया गया हो (खंड (ख))। इसी प्रकार, 1996 के नियमों के नियम 67(क) में प्रावधान है कि विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

13. 1996 के नियमों के नियम 67(ए) के मात्र अवलोकन से स्पष्ट है कि एक विधवा पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है। अब, विचारणीय प्रश्न यह है कि जब एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, और वह अपने पीछे दो विधवाओं को छोड़ जाता है, तो दोनों विधवाओं में से कौन, या दोनों विधवाएँ, पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होंगी? 1996 के नियमों के तहत 'विधवा' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, "विधवा वह महिला होगी जिसके पति की मृत्यु हो गई हो और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो"। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, "विधवा वह महिला होगी जिसने अपने पति को मृत्यु के कारण खो दिया हो और जिसने दोबारा शादी नहीं की हो।" ऐसा प्रतीत होता है कि "विधवा" शब्द का शब्दकोश अर्थ एक ऐसी महिला होगी जिसने विवाहित होने के बाद अपने पति को खो दिया हो। चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, "1955 का अधिनियम") की धारा 11 के अनुसार, हिंदू पुरुष और महिला के बीच उसकी पहली पत्नी के जीवनकाल में विवाह शून्य है, इसलिए उक्त सरकारी कर्मचारी और दूसरी पत्नी के बीच विवाह कानून की नजर में वैध विवाह नहीं होगा। 1955 के अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, दो हिंदुओं के बीच विवाह के समय, उनमें से किसी का भी जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए। 1955 के अधिनियम की धारा 11 कहती है कि धारा 5 के खंड (i), (iv), (v) में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह शून्य होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक हिंदू सरकारी कर्मचारी के साथ उसकी पत्नी के जीवनकाल में तथाकथित 'विवाह' करने वाली महिला को उसकी विधवा नहीं कहा जा सकता है।

14. अतः, यह स्पष्ट है कि 1955 के अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आने वाले विवाह प्रारंभ से ही अमान्य हैं और एक हिंदू महिला, जिसने अपने वैवाहिक जीवन के दौरान किसी हिंदू पुरुष से विवाह किया हो, को 1996 के नियमों के अंतर्गत 'परिवार' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए 'विधवा' शब्द को नियम 67 के अंतर्गत रखा गया है और "विधवाएँ" शब्द इस नियम में शामिल नहीं है। इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति का पहला विवाह विच्छेद हुए बिना दूसरा विवाह वैध विवाह नहीं माना जा सकता और ऐसी दूसरी पत्नी को 1996 के नियमों के नियम 66 और 67 के अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी की 'विधवा' नहीं माना जा सकता।

15. यह एक स्थापित प्रस्ताव है कि हिंदुओं में एकपत्नीत्व न केवल आदर्श है, बल्कि एक कानूनी आदेश भी है और इसलिए पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया विवाह कानून द्वारा संज्ञेय नहीं है। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी से उत्पन्न ऐसे संबंध को मान्यता देना जनहित के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों को दूसरी शादी करने में मदद मिलेगी, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। 1955 के अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, वैधानिक रूप से, इस अधिनियम के लागू होने के बाद दो हिंदुओं के बीच किया गया कोई भी विवाह अमान्य है यदि ऐसे विवाह की तिथि पर दोनों पक्षों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित था और ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 494 और 495 के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

16. इस प्रकार, पारिवारिक पेंशन "पत्नी" को देय है, न कि उन लोगों को जिनका विवाह कानून की दृष्टि में 'अविवाह' है। ऐसे अमान्य विवाहों से उत्पन्न संतानों की वैधता की स्थिति के संबंध में, 1955 के अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी संतान वैध होगी।

17. राज कुमारी बनाम कृष्ण के मामले में **2015 (14) एससीसी 511** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 13 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

“13. सामान्यतः, पेंशन मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को दी जाती है। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि वादी श्रीमती कृष्णा, स्वर्गीय श्री अतम की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं। प्रकाश के साथ, खासकर जब उनकी एक पत्नी थी, जो उस समय जीवित थी जब उन्होंने आर्य समाज मंदिर में एक अन्य महिला से विवाह किया था, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को पेंशन लाभों के संबंध में निचली अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और पारित आदेश में संशोधन नहीं करना चाहिए था। पेंशन लाभ स्वर्गीय श्री आत्म के नियोक्ता द्वारा दिए जाएंगे। प्रकाश को वर्तमान अपीलकर्ताओं को स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार भेजा गया है।”

18. हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्रीमती महालक्ष्मम्मा बनाम ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के मामले में, **17.11.2023** को निर्णीत डब्ल्यूए संख्या **256/2023** में रिपोर्ट की गई, राजकुमारी (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, दूसरी पत्नी को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया कि वह पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अपील पत्रों का अवलोकन करने के बाद, हम इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के इस तर्क से व्यापक रूप से सहमत हैं कि अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदुओं में एकपत्नीत्व न केवल आदर्श है, बल्कि एक कानूनी नुस्खा भी है और इसलिए पहली पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया विवाह, उन सभी उचित अपवादों के अधीन, जिनमें अपीलकर्ता का तर्कपूर्ण मामला फिट नहीं बैठता, कानून द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा सकता।

4. पहले विवाह के दौरान दूसरे विवाह से उत्पन्न ऐसे संबंधों को मान्यता देना जनहित के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा विवाह करने में सुविधा होगी, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। वैधानिक रूप से, द्विविवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कर्नाटक सिविल सेवा नियमों के नियम 294 के प्रावधानों में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद उसके

परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस नियम का खंड (i) इस प्रकार है:

“(i) उप-नियम (ii) में निर्दिष्ट राशि से अनधिक पारिवारिक पेंशन, किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जा सकेगी, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद, कम से कम 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात, दस वर्ष की अवधि के लिए हो जाती है।”

नियम 302(i) में लिखा है:

इस नियम के प्रयोजन के लिए 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल होंगे: (क) पत्नी, ...”

इस प्रकार पारिवारिक पेंशन "पत्नी" को देय है, न कि उन लोगों को जिनका विवाह कानून की नजर में 'गैर-विवाह' है, धारा 16 1955 अधिनियम के आधार पर, उनसे उत्पन्न बच्चों की वैधता की सीमित स्थिति के बावजूद

.....

5. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) के तहत गठित समिति अपनी सामान्य अनुशंसा संख्या 21 के अनुच्छेद 14 की पुष्टि करती है जिसमें लिखा है: "बहुविवाह एक महिला के पुरुषों के साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, और उसके और उसके आश्रितों के लिए ऐसे गंभीर भावनात्मक और वित्तीय परिणाम हो सकते हैं कि ऐसे विवाहों को हतोत्साहित और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए"... समिति का दृष्टिकोण अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों पर मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर के प्रोटोकॉल में अफ्रीकी संघ की स्थिति के अनुरूप है (मापुटो प्रोटोकॉल), कि 'एकपत्नीत्व को विवाह के पसंदीदा रूप के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है... '। भारत ने एक पक्षकार राज्य होने के नाते 09.07.1993 को CEDAW का अनुसमर्थन किया तथा सामान्य संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(c) के मद्देनजर, NDJAYAL बनाम UOI, (2004) 9 SCC 362 के अनुसार, प्रति-संविधि के अभाव में,

हमारे घरेलू कानून में पढ़ा जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों में, यह अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

(जोर दिया गया)

19. मद्रास उच्च न्यायालय ने, शांति बनाम सरकार के सचिव एवं अन्य, डब्ल्यू पी संख्या **32556** वर्ष **2014** के मामले में, **15.07.2022** को निर्णीत, यह भी स्पष्ट किया कि दूसरी पत्नी, जिसका विवाह कर्मचारी की पहली पत्नी के जीवनकाल में हुआ हो, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल तभी जब दूसरा विवाह कानून के तहत

वैध हो, तभी पेंशन देय होगी, जिसे दो विधवाओं के बीच साझा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
संबंधित अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:

“9. ' देयता ' का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब आवेदक विधवा हो। विधवा का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब विवाह वैध विवाह हो। अमान्य विवाह के आधार पर, दूसरी पत्नी "विधवा" का दर्जा नहीं मांग सकती। जब यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी है और वह विधवा नहीं है, तो पारिवारिक पेंशन देय नहीं है, और नियम 49 (7) (ए) (i) लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

10. आगे सवाल यह उठता है कि तमिलनाडु पेंशन नियमों में ऐसा नियम क्यों शामिल किया गया है। यह स्पष्ट है कि नियम बनाते समय, वर्ष 1955 से पहले, अर्थात् हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने से पहले, जिन कर्मचारियों ने दूसरा विवाह किया था, उन्हें वैध विवाह माना जाता था। ऐसी परिस्थितियों में, जब दूसरा विवाह वैध विवाह था, नियम पारिवारिक पेंशन के बँटवारे का प्रावधान करता है। इसलिए, केवल तभी जब दूसरा विवाह कानून के तहत वैध हो, पेंशन देय होगी, जिसे दो विधवाओं के बीच साझा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जब पेंशन नियम लागू किया गया था, ऐसे कई मामले थे, जहाँ कर्मचारियों की दो पत्नियाँ थीं और दूसरी पत्नी के साथ विवाह हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने से पहले वर्ष 1955 से पहले हुआ था। इसलिए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दूसरी पत्नी, जिसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के बाद हुआ था और अमान्य हो गया था, उन परिस्थितियों का अनुचित लाभ नहीं उठा सकती। इस प्रकार, पहली पत्नी के जीवनकाल में किया गया दूसरा विवाह "विधवा" के रूप में दूसरी पत्नी की स्थिति के कारण अमान्य विवाह है। जब वह 'विधवा' का दर्जा नहीं रखती है, तो पारिवारिक पेंशन देय नहीं होती है और परिणामस्वरूप, पारिवारिक पेंशन को साझा या भुगतान नहीं किया जा सकता है।”

(जोर दिया गया)

20. इसी प्रकार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले के समान तथ्यात्मक परिदृश्य में, प्रतिमा डेका बनाम असम राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू पी (सी) संख्या **849/2019** में रिपोर्ट किया गया और **18.05.2022** को निर्णय दिया गया को निर्णीत, पहली पत्नी को पेंशन भुगतान का निर्देश दिया गया। इसमें उल्लेख किया गया:

“3. याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 6 सहित प्रतिवादियों ने हलफनामा दायर करके चुनौती दी है। उक्त प्रतिवादी संख्या 6 का प्रतिनिधित्व श्री पी. महंत कर रहे हैं और उनके विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 मृतक कर्मचारी की पहली पत्नी है और कानून के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 6 ही पारिवारिक पेंशन की हकदार है। प्रतिवादी संख्या 6 के उपरोक्त रुख का समर्थन सिंचाई विभाग के विद्वान स्थायी वकील श्री एन. उपाध्याय और असम के एजी के विद्वान स्थायी वकील श्री ए. हसन ने भी किया है।

4. पक्षों को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने पाया है कि पक्षकार धर्म से हिंदू हैं और हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, द्विविवाह की कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध है और तलाक का आधार भी है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री हजारिका ने उचित रूप से तर्क दिया कि बच्चे भी बालिग हैं और इसलिए, यद्यपि नाबालिग होने पर बच्चों को कुछ राहत दी जा सकती थी, लेकिन वह स्थिति भी मौजूद नहीं है।

5. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के पास इस याचिका को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि इस मामले में पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है, जिसके तथ्य स्वीकार किए जाते हैं और पक्षकार धर्म से हिंदू हैं।

6. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।”

(जोर दिया गया)

21. इस न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित नोटिस की विधि अपनाने के बावजूद, उक्त जनक अग्रवाल द्वारा रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है कि वह मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। केवल एक दस्तावेज, जिसे याचिकाकर्ता के पति ने प्रतिवादियों के समक्ष नामिती के रूप में उसका नाम दर्ज करके प्रस्तुत किया था, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और यह याचिकाकर्ता, जो मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यदि श्रीमती जनक अग्रवाल स्वयं को मृतक की पत्नी होने का दावा कर रही हैं, तो 1955 के अधिनियम की धारा 5, 7 और 12 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, उनके विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है, जब तक कि वह सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (अब मृतक) की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में अपनी स्थिति साबित नहीं कर देती हैं।

22. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि पेंशन लाभ कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को ही मिलना चाहिए। यदि विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं था, तो दूसरी पत्नी आमतौर पर ऐसे लाभों का दावा करने के लिए अपात्र होगी। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ आमतौर पर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जीवनसाथी को ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहाँ मृतक कर्मचारी ने पहली पत्नी को कानूनी रूप से तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी रख ली हो, केवल पहली पत्नी ही पेंशन लाभों की हकदार होगी।

23. याचिकाकर्ता मृतक पेंशनभोगी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन प्रतिवादी उस पर पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय से 'उत्तराधिकार प्रमाण पत्र' प्राप्त करने पर जोर दे रहे हैं।

24. अब इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि "क्या पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा को न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है?"

25. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में "1925 का अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, ऋण या सुरक्षा की वसूली के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। और पारिवारिक पेंशन ऋण या सुरक्षा के दायरे में नहीं आती है।

26. 1925 के अधिनियम का भाग 10, धारा 370 से 390 तक, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित है। धारा 370 की उपधारा 1 इस प्रकार है:-

“भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में धारा 370 (1):-(1) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (जिसे इस भाग में इसके बाद प्रमाणपत्र कहा गया है) इस भाग के तहत किसी भी ऋण या सुरक्षा के संबंध में प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसके लिए धारा 212 या धारा 213 द्वारा प्रशासन के पत्रों या प्रोबेट द्वारा अधिकार स्थापित करना आवश्यक है: बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऋण या सुरक्षा के संबंध में एक मृत भारतीय ईसाई, या उसके किसी भी हिस्से के प्रभावों के हकदार होने का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र के अनुदान को रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा, इस कारण से कि इस अधिनियम के तहत प्रशासन के पत्रों द्वारा एक अधिकार स्थापित किया जा सकता है।”

27. 1925 के अधिनियम की धारा 370 और 372, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 372 की उप-धारा 1 के खंड (एफ) को पढ़ने से पता चलता है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल ऋण और प्रतिभूतियों के संबंध में ही लागू किया जा सकता है।

28. 1925 के अधिनियम के अंतर्गत "ऋण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। उक्त शब्द को सामान्य उपबंध अधिनियम के अंतर्गत भी परिभाषित नहीं किया गया है। "ऋण" शब्द का सामान्य अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को धन, सेवाओं, वस्तुओं या किसी अन्य दायित्व के बदले में वर्तमान या भविष्य में देय कोई भी आर्थिक दायित्व है। प्रतिभूतियों के मामले में, 1925 के अधिनियम की धारा 370 की उपधारा 2 इस धारा द्वारा परिकल्पित विभिन्न प्रतिभूतियों का उल्लेख करती है, जिनमें शामिल हैं:

“(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई वचन पत्र, डिबेंचर, स्टॉक या अन्य प्रतिभूति;

(ख) संसद (यूनाइटेड किंगडम) के अधिनियम द्वारा भारत के राजस्व पर प्रभारित कोई बांड, डिबेंचर या वार्षिकी;

(ग) किसी कंपनी या अन्य निगमित संस्था का कोई स्टॉक या डिबेंचर या शेयर;

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से जारी किया गया कोई डिबेंचर या धन के लिए अन्य प्रतिभूति;

(ङ) कोई अन्य प्रतिभूति जिसे (राज्य सरकार) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति घोषित करे।”

29. 1925 के अधिनियम की धारा 381 प्रमाणपत्र के प्रभाव से संबंधित है और यह निम्नानुसार है:

“381. प्रमाणपत्र का प्रभाव.--इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश का प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में, ऐसे ऋणों के ऋणी या ऐसी प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णायक होगा और धारा 370 के किसी उल्लंघन या अन्य दोष के होते हुए भी, ऐसे सभी व्यक्तियों को, ऐसे ऋणों या प्रतिभूतियों के संबंध में उस व्यक्ति को या उसके साथ, जिसे प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, सद्भावपूर्वक किए गए सभी भुगतानों या किए गए व्यवहारों के संबंध में पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।”

30. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मृतक ऋणदाता को देय ऋण या ऋणों के संबंध में या उसके किसी अनुपात के संबंध में किया जा सकता है।

31. पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में 1925 के अधिनियम के प्रावधान मौन हैं।

32. इस प्रकार, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को देय पारिवारिक पेंशन के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती, भले ही वह मृतक का ऋण ही क्यों न हो। हालाँकि, 1925 के अधिनियम की धारा 214 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय;

(क) किसी मृत व्यक्ति के ऋणी के विरुद्ध डिक्री पारित कर सकेगा कि वह अपने ऋण का भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति को करे जो उत्तराधिकार के आधार पर मृत व्यक्ति की संपत्ति या उसके किसी भाग का हकदार होने का दावा करता है, या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर कार्यवाही करना जो ऐसे देनदार को उसके ऋण के भुगतान के लिए डिक्री या आदेश निष्पादित करने का हकदार होने का दावा करता है, सिवाय इसके कि ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाए

...

(iii) भाग-X के तहत दिया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और उसमें निर्दिष्ट

ऋण धारा 214 की उपधारा (2) कहती है कि उपधारा (1) में 'ऋण' शब्द में कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में देय किराया, राजस्व या लाभ को छोड़कर कोई भी ऋण शामिल है।

33. इस प्रकार, पारिवारिक पेंशन एक स्वतंत्र दावा है और इसे किसी मृत कर्मचारी के माध्यम से नहीं लिया जा सकता। पेंशन कोई ऋण नहीं है, बल्कि अब इसे संपत्ति माना गया है।

34. पटना उच्च न्यायालय ने गंगा राम बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत भवन, पटना के मामले में, सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या **154/2018**, जो **18.04.2023** को निर्णीत हुआ, यह टिप्पणी की कि पेंशन ऋण की प्रकृति की नहीं है, बल्कि

यह एक संपत्ति है और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“20. धीरजो कुमार सेंगर (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के दायरे को सीमित कर दिया है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (1889 का अधिनियम VII) की प्रस्तावना ऐसे प्रमाणपत्र के उद्देश्य के बारे में जानकारी देती है। प्रस्तावना में कहा गया है, "चूँकि उत्तराधिकार पर ऋण वसूली को सुगम बनाना और मृत व्यक्ति के प्रतिनिधियों को ऋण चुकाने वाले पक्षकारों को संरक्षण प्रदान करना समीचीन है।"

21. अधिनियम के भाग 10 को पुनः अधिनियमित करने का उद्देश्य ऋणों की वसूली को सुगम बनाना है, न कि पक्षकारों को विवादित स्वामित्व के प्रश्न पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने से स्वामित्व का प्रश्न या मृतक की संपत्ति से संबंधित विशेषाधिकार का निर्धारण नहीं होता; यह केवल उस पक्षकार को, जिसे प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, मृतक से संबंधित किसी भी ऋण या प्रतिभूति को वसूलने का अधिकार देता है। (देखें पारुक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 8वां संस्करण, पृष्ठ 782)। भाग 10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल निम्नलिखित मामलों में ही प्रदान किया जा सकता है:-

क) जब धारा 212 और 213 के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।

(ख) जब मृतक भारतीय ईसाई हो।

(ग) जब मृतक मुसलमान हो।

(घ) जब मृतक हिंदू हो और उसने वसीयत छोड़ी हो और ऐसी वसीयत का प्रोबेट अनिवार्य न हो। हिंदू कानून आदि के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति के मामले में।

22. इस प्रकार, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को देय पारिवारिक पेंशन के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही वह मृतक का ऋण ही क्यों न हो। हालांकि, अधिनियम की धारा 214 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय; (क) किसी मृत व्यक्ति के ऋणी के विरुद्ध डिक्री पारित नहीं करेगा कि वह मृतक की संपत्ति या उसके किसी भाग पर उत्तराधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को उसका ऋण चुकाए, या (ख) ऐसे ऋणी के आवेदन पर आगे नहीं बढ़ेगा जो यह दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके ऋण के भुगतान के लिए डिक्री या आदेश निष्पादित करने का हकदार होने का दावा करता है, सिवाय इसके कि ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति उसे प्रस्तुत करे, या (ग) भाग-X के अंतर्गत प्रदान किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और उसमें निर्दिष्ट ऋणों का भुगतान। धारा 214 की उपधारा (2) कहती है कि उपधारा (1) में 'ऋण' शब्द में लगान, राजस्व या लाभ के अलावा कोई भी ऋण शामिल है, जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में देय है।

23. इस प्रकार, पारिवारिक पेंशन एक स्वतंत्र दावा है और इसे किसी मृत कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पेंशन कोई ऋण नहीं है, बल्कि अब इसे संपत्ति माना गया है।

(जोर दिया गया)

35. केरल उच्च न्यायालय ने ललिताम्बिका बनाम एनआईएल मामले में, जिसकी रिपोर्ट **2014** एससीसी ऑनलाइन केआर **12607** में दी गई थी, यह टिप्पणी की कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का मुख्य उद्देश्य उत्तराधिकार पर ऋणों की वसूली को सुगम बनाना और मृतक व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को ऋण चुकाने वाले पक्षों को सुरक्षा प्रदान करना है। पारिवारिक पेंशन कोई ऋण नहीं है और इसलिए, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1952 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल उन 'ऋणों' या 'प्रतिभूतियों' के संबंध में ही प्रदान किया जा सकता है जिनके लिए मृतक हकदार था। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का मुख्य उद्देश्य उत्तराधिकार पर ऋणों की वसूली को सुगम बनाना और मृतक के प्रतिनिधियों को ऋण चुकाने वाले पक्षों को सुरक्षा प्रदान करना है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल अपने धारक को एक ट्रस्टी के रूप में मृतक को देय ऋण वसूलने के लिए अधिकृत करता है, तथापि यह उसके स्वामित्व का निर्धारण नहीं करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही में लिया गया निर्णय किसी भी अनुवर्ती मुकदमे में पुनर्न्यायिकता के रूप में भी मान्य नहीं होगा।

6. केरल सेवा नियम, 1959 के भाग III के अंतर्गत परिकल्पित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर ही उसके परिजनों को देय होती है। पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी पर देय कोई ऋण नहीं है जिसे वह अपने जीवनकाल में भुना सके। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार केवल कर्मचारी की मृत्यु पर ही प्राप्त होता है और निश्चित रूप से उसके नामांकन के अधीन होता है। पारिवारिक पेंशन स्वतंत्र होती है और इसका दावा मृतक कर्मचारी के माध्यम से नहीं किया जाता है। [देखें: श्रीमती निरुपमा सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम (एआईआर 1996 कोलकाता 417)]। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को देय पारिवारिक पेंशन शामिल नहीं की जा सकती।

7. मैं इस दृष्टिकोण से पबित्रा मोहन प्रधान बनाम दमयंती प्रधान [एआईआर 2003 ओडिशा 1] के निर्णय से सहमत हूँ, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

“यद्यपि अधिनियम की धारा 370 लागू नहीं होती, मृतक का कोई प्रतिनिधि धारा 214 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना मृतक के नियोक्ता के विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं कर सकता, बशर्ते कि वह ऋण या प्रतिभूति हो

जिसे वसूल किया जाना हो। इस प्रकार, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए, उत्तराधिकार

प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है क्योंकि यह न तो ऋण है और न ही सुरक्षा।" (जोर दिया गया) निचली अदालत ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार करके उचित ठहराया था ताकि पारिवारिक पेंशन को भी इसमें शामिल किया जा सके। किसी भी नामांकन के अभाव में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना पर्याप्त होगा। मूल याचिका खारिज। खारिज। कोई खर्च नहीं।"

(जोर दिया गया)

36. गुजरात उच्च न्यायालय ने भारती रामरंगीला मोर बनाम भारत संघ मामले में, विशेष सिविल आवेदन संख्या **21702/2019**, जिस पर गुजरात उच्च न्यायालय ने **31.03.2021** को निर्णय दिया था, इस मत की पुनः पुष्टि करते हुए कहा कि पेंशन न तो ऋण के अंतर्गत आती है और न ही सुरक्षा के अंतर्गत और यह सेवा नियमों द्वारा शासित होती है। इसमें कहा गया:

"6. इस मामले में, जब तलाटी-सह-मंत्री द्वारा तैयार की गई वंशावली के आधार पर याचिकाकर्ता का सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ संबंध पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और वर्ष 2003 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के लिए अपनी बेटी को आश्रित के रूप में पेश करना उचित नहीं हो सकता और नामांकन पहले से ही उसकी पत्नी के नाम पर था, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने के लिए निचली अदालत की अस्वीकृति, मृतक कर्मचारी के साथ याचिकाकर्ता के किसी भी संबंध की अनुपस्थिति पर आधारित नहीं थी, बल्कि अदालत के अनुसार, पेंशन देने के लिए ऐसा आवेदन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की योजना में फिट नहीं बैठता है। अदालत के अनुसार, पेंशन न तो ऋण और सुरक्षा के अंतर्गत आएगी और न ही पेंशन सेवा नियमों द्वारा शासित होगी।"

(जोर दिया गया)

37. उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्य रूप से मृतक की संपत्तियों, जैसे ऋण और प्रतिभूतियों, के प्रबंधन और दावे के लिए आवश्यक है, और पारिवारिक पेंशन लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बजाय, दावेदार को पेंशन लाभों का दावा करने के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, पहचान का प्रमाण, विवाह प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) आदि जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

38. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अध्याय 5 के अंतर्गत परिकल्पित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को देय होती है। पारिवारिक पेंशन, मृतक कर्मचारी पर देय कोई ऋण नहीं है जिसे वह अपने जीवनकाल में भुना सके। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार कर्मचारी की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। अतः, यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल मृतक व्यक्ति की ऋणों और प्रतिभूतियों जैसी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है, और पारिवारिक पेंशन के लाभों का दावा करने के

लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है क्योंकि यह न तो 'ऋण' है और न ही 'सुरक्षा'।

39. इस मामले में, याचिकाकर्ता का मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ विवाह विवादित नहीं है क्योंकि वह उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जनक अग्रवाल के साथ दूसरा विवाह वैध है या नहीं, यह उसे इस संबंध में घोषणा प्राप्त करने के बाद सक्षम न्यायालय के समक्ष सिद्ध करना होगा।

40. चूंकि यह तथ्य अभिलेख पर स्थापित हो चुका है कि याचिकाकर्ता मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए वह पारिवारिक पेंशन का लाभ पाने की हकदार है।

41. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता और मृतक पेंशनभोगी के वैध बच्चों की पारिवारिक पेंशन, नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार, देय तिथि से भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दबाव डाले बिना, जारी करें।

42. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अभ्यास आवश्यक है। प्रतिवादियों द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

43. इस आदेश से विदा लेने से पूर्व, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि मृतक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी ने अपनी दूसरी पत्नी और दो बच्चों के पक्ष में नामांकन किया था। यद्यपि दूसरी पत्नी से विवाह अवैध है, फिर भी विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध हैं और पेंशन नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मृतक के सेवांत लाभों के हकदार हैं, यदि वे अभी भी इसके पात्र हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मृतक पेंशनभोगी के सेवांत लाभों में से अपने हिस्से का भुगतान करें।

44. यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने मृतक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी की दूसरी पत्नी और बच्चों के चल और अचल संपत्तियों में अधिकार के बारे में विचार नहीं किया है, जिसका निर्णय केवल विधि के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष ही किया जा सकता है। उपरोक्त से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस मामले ने किसी भी तरह से दूसरी पत्नी की स्थिति का निर्णय किया है। वह और उसके बच्चे इन कार्यवाहियों से स्वतंत्र होकर अपनी स्थिति और अधिकार स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के उपाय कर सकते हैं।

45. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है। स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

कुडी/79

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं

ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी